मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः28.02.2026

थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा नशीला/जहरीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने व गैर-इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, नशीला पदार्थ की पुड़िया, 01 हजार रूपये व 04 मोबाइल फोन बरामद-

थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 27.02.2026 को वादी रियाज अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी रामबाग कुरैशनगर थाना को0शहर जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरूद्ध वादी के बहनोई को नशीला/जहरीला पदार्थ खिलाना व ईलाज के दौरान मृत्यु होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया गया। थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-50/2026 धारा 123,105 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। इसी क्रम में वादी राधेश्याम पुत्र छोटेलाल निवासी पड़री थाना पड़री जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरूद्ध वादी को नशीला/जहरीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने तथा 1000 रूपये चोरी के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया। थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-51/2026 धारा 123,303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"अपर्णा रजत कौशिक" पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए घटना का शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी थाना को0कटरा को निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में आज दिनांकः 28.02.2026 को थाना को0कटरा पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना, साक्ष्य संकलन व भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्रांतर्गत रेलवे कालोनी हनुमान मंदिर के पास से प्रकाश में आये 03 अभियुक्त 1- उमेश कुमार यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी पसीयाही थाना कछवां जनपद मीरजापुर, 2. वीरेन्द्र सोनकर पुत्र करूणेन्द्र सोनकर निवासी पसीयाही थाना कछवां जनपद मीरजापुर व 3. कर्नल यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी पसीयाही थाना कछवां जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 08 नशीला पाउडर का पुडिया, 01 हजार रूपये व 04 मोबाइल फोन बरामद किया गया। सम्बन्धित अभियुक्तों को थाना को0कटरा पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो रेलवे स्टेशन व रोडवेज के आसपास यात्री बनकर घुमते रहते है तथा भोले-भाले लोगो से बातचीत कर उन्हें नशीला पदार्थ मिलाया हुआ खाने पीने की सामग्री खिलाकर उनके सामानो और पैसो की चोरी कर लिया करते है तथा इस प्रकार प्राप्त धन को आपस में बाट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1- उमेश कुमार यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी पसीयाही थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. वीरेन्द्र सोनकर पुत्र करूणेन्द्र सोनकर निवासी पसीयाही थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 26 वर्ष।
3. कर्नल यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी पसीयाही थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0-50/2026 धारा 123,105 बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
मु0अ0सं0-51/2026 धारा 123,303(2) बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
विवरण बरामदगी—
08 नशीला पाउडर का पुडिया, 01 हजार रूपये व 04 मोबाइल फोन बरामद।
गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—
थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर मय टीम।
उप निरीक्षक मेराज अली व उप निरीक्षक नान्हक सिंह मय पुलिस टीम।